सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं.: NCST/ATY-2728/UP/80/2025-RU-IV   दिनांक : 06.11.2025

सेवा मे,

1 **जिलाधिकारी**
जिला - बलिया
डीएम कैंप कार्यालय, सिविल लाइंस, बलिया,
बलिया, उत्तर प्रदेश 277001
ई-मेल: dmbal@nic.in

2 **पुलिस अधीक्षक**
जिला - बलिया
पुलिस लाइन, बलिया,
बलिया, उत्तर प्रदेश 277001
ई-मेल: spbla-up@nic.in

विषय: भूमि पर जबरन कब्जा करने तथा प्रार्थी तथा उसके परिवार के साथ संभावित जघन्य अपराध की आशंका के संबंध में -श्री विकास सिंह, ग्राम-साकिन भगवानपुर, थाना-दोकटी, जिला-बलिया) उत्तर प्रदेश का पत्र / अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 09.10.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्टकी गई कार्रवाई /की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

6.11.25

प्रवीण कुमार सिंह
अवर सचिव
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री विकास सिंह,
ग्रामसाकिन भगवानपुर-,
थानादोकटी-,
जिला(उत्तर प्रदेश) बलिया- - 277201,
Mobile No:9369689060

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/ATY-2728/UP/80/2025-RU-IV

श्री विकास सिंह, ग्राम-साकिन भगवानपुर, थाना-दोकटी, जिला-बलिया (उत्तर प्रदेश) के भूमि पर जबरन कब्जा करने तथा प्रार्थी तथा उसके परिवार के साथ संभावित जघन्य अपराध की आशंका के संबंध में दिनांक 09.10.2025 को दोपहर 01:50 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 09.10.2025 को अपराह्न 01:50 बजे
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार

श्री विकास सिंह, ग्राम-साकिन भगवानपुर, थाना-दोकटी, जिला-बलिया (उत्तर प्रदेश) के दिनांक 21.05.2025 के पत्र द्वारा आयोग में उनकी शिकायत प्राप्त हुई | प्रार्थी विकास सिंह पुत्र विक्रमा सिंह, निवासी भगवानपुर, थाना दोकटी, जनपद बलिया (जाति – खरवार, अनुसूचित जनजाति) द्वारा प्रस्तुत निवेदन के अनुसार, उनके पिता ने वर्ष 1989 में मौजा सोनबरसा, परगना द्वाबा, तहसील बैरिया, जिला बलिया में आराजी संख्या 1734, रकबा 14 डि° भूमि विजय प्रसाद पुत्र सुग्रीव प्रसाद से क्रय की थी, जिसमें 4 डि° बदलैन भूमि सम्मिलित है। तब से प्रार्थी उक्त भूमि पर मकान, टिन शेड, शौचालय एवं हैण्डपम्प बनाकर शांतिपूर्वक काबिज हैं। दिनांक 02.05.2025 को गाँव के लाल बाबू यादव एवं उनके परिजनों ने थाना दोकटी के उपनिरीक्षकों तथा राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से प्रार्थी की भूमि पर अवैध रूप से पैमाइश कराते हुए टिन शेड, शौचालय व सहन में पत्थर गाड़ दिए तथा गाली-गलौज कर धमकी दी। श्री विकास सिंह ने इन लोगों द्वारा उनकी भूमि पर जबरन कब्जा करने तथा प्रार्थी तथा उसके परिवार के साथ संभावित जघन्य अपराध की आशंका के संबंध में आयोग का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने तथा उन्हें न्याय दिलाने का अनुरोध किया है।

2. आयोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2025 को नोटिस जारी कर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, बलिया (उत्तर प्रदेश) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में मामले मे मामले मे संबन्धित प्राधिकारियो से रिपोर्ट दिनांक 28.08.2025 प्राप्त हुई जिसमे अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी, बलिया की ओर से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री विकास सिंह की शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट है । शिकायत में उल्लिखित आरोपों की जाँच पुलिस अधीक्षक बलिया के माध्यम से कराई गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी बैरिया की रिपोर्ट शामिल है । रिपोर्ट के अनुसार, श्री विकास सिंह (खरवार जाति से संबंधित) और विपक्षी श्री रामबाबू यादव के बीच आराजी संख्या 1733 व 1734 की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद है, और दोनों पक्षों को सक्षम न्यायालय में जाने की सलाह दी गई है । इसके अतिरिक्त, श्री विकास सिंह की 09.08.2025 की लिखित तहरीर के आधार पर, विपक्षी रामबाबू यादव सहित 06 व्यक्तियों के विरुद्ध मारपीट, गाली-गलौज, और एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धाराओं (3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(Va)) के तहत मु०अ०सं०-178/2025 पंजीकृत किया गया है । इस मामले की विवेचना वर्तमान में क्षेत्राधिकारी बैरिया द्वारा की जा रही है, और उन्हें शीघ्र, निष्पक्षतापूर्वक निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है । साथ ही,

आशा लकड़ा

थाना दोकटी के प्रभारी निरीक्षक को दोनों पक्षों पर निरंतर सतर्कता बनाए रखने और वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है ।

4. मामले की गंभीरता और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए निरंतर अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने संबंधित अधिकारियों के साथ सुनवाई दिनांक 09.10.2025 को अपराह्न 01:50 बजे निर्धारित की। इस संबंध में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, बलिया (उत्तर प्रदेश) को समन जारी किया गया।अभ्यावेदक को भी इसकी सूचना दी गई ।

5. सुनवाई के दौरान उपजिलाधिकारी (बैरिया), जनपद बलिया एवं क्षेत्राधिकारी (बैरिया), जनपद बलिया उपस्थित रहे। अभ्यावेदक भी सुनवाई के समय उपस्थित थे।

दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत, आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं —

i. मामले में जिलाधिकरी , बलिया एक पाँच-सदस्यीय समिति का गठन करें, जो आराजी संख्या 1733, 1734 एवं 1735 से संबंधित प्रकरण की निष्पक्ष एवं विधिसम्मत जांच सुनिश्चित करें तथा प्रार्थी की सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था की जाए।
ii. जांच पूर्ण होने के उपरांत, संबंधित अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, तथा जांच रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों के भीतर प्रेषित की जाए।

आशा लकड़ा
31/10/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-2728/UP/80/2025-RU-IV

Sitting to be held on **09.10.2025** **at 01.50 P.M-** भूमि पर जबरन कब्जा करने तथा प्रार्थी तथा उसके परिवार के साथ संभावित जघन्य अपराध की आशंका के संबंध में **श्री विकास सिंह** -, ग्रामसाकिन भगवानपुर-, थाना-दोकटी, जिला का दिनांक (उत्तर प्रदेश)बलिया -21.05.2025 का पत्र/अभ्यावेदन। ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
II	**Officers from O/o Collector & District Magistrate, Ballia, Uttar Pradesh**		
1.	Alokpratap Singh SDM (Bairia) Ballia.	9454417958	[signature]
2.			
3.			
III	**Officers from O/o Superintendent of Police, Ballia, Uttar Pradesh**		
1.	Mohd Aleem Qureshi	9540420712 Co Bairia Ballia	[signature]
2.	Alok pratap Singh	9454417958 SDM (Bairia) Ballia	[signature] 09/10/25
3			
IV	**Petitioners**		
	विकास सिंह	9369689060	विकास सिंह